भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1255

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

निर्माण उद्योग के कामगार

1255. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अन्य देशों ने अपने निर्माण उद्योगों के लिए भारत से श्रमिकों को बुलाने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है और हमारे देश से कुशल/अकुशल मजदूरों को भेजने के लिए ऐसे देशों और प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की मौजूदा नीति का ब्यौरा क्या है और श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की वर्तमान प्रणाली क्या है;

(घ) ऐसी पंजीकृत एजेंसियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो श्रमिकों को विदेश भेजती हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी एजेंसियों द्वारा विदेश भेजे गए लोगों की वार्षिक राज्य-वार संख्या कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में व्यापार/कौशल का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां इन एजेंसियों ने ऐसे श्रमिकों का शोषण किया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कामगारों की मांग वाले विदेशी नियोक्ता कामगारों की भर्ती करते हैं तथा मांग के लिए भर्ती विदेशी नियोक्ता तथा भर्ती एजेंट का मामला है। इम्मीग्रेशन जांच आवश्यकता (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक तथा किसी अधिसूचित ईसीआर राष्ट्र में नियोजन के उद्देश्य से प्रवासगमन करने के लिए उत्प्रवासन निकासी विदेश मंत्रालय की इम्मीग्रेट पद्धति के माध्यम से लेते हैं। ई-माइग्रेट पद्धति सरकार को उत्प्रवासी कामगारों, मिशनों, भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ताओं तथा बीमा एजेंसियों का व्यापक एवं ऑनलाइन डाटाबेस उपलब्ध कराती है। ई-माइग्रेट का उद्देश्य उत्प्रवासन प्रक्रिया को तेज एवं पारदर्शी बनाना है तथा यह सभी हितधारकों के पहचान पत्रों के ऑनलाइन प्रमाणीकरण/सत्यापन की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, ई-माइग्रेट के डाटा में उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं अथवा ईसीएनआर श्रेणी के अंतर्गत नियोजन हेतु जाने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं यदि वे पद्धति में स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराते हैं।

(घ): पंजीकृत एजेंसियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।

(ङ): गत तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजे गए लोगों की राज्य-वार संख्या तथा ट्रेड्स/स्किल्स का विवरण क्रमश: **अनुबंध-ख एवं अनुबंध-ग** पर संलग्न है।

(च): गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों के खिलाफ वर्ष-वार शिकायतें **अनुबंध-घ** के रूप में संलग्न हैं।

**** ****

अनुबंध "क"

निर्माण उद्योग के कामगारों के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1255 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 16.09.2020 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एवं कार्यरत राज्य-वार एजेंसियां (आरए)	
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	**पंजीकृत एजेंसियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	15
बिहार	7
चंडीगढ़	15
दिल्ली	216
गोवा	8
गुजरात	12
हरियाणा	16
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	3
झारखंड	3
कर्नाटक	20
केरल	155
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	620
ओडिशा	6
पंजाब	83
राजस्थान	47
तमिलनाडु	126
तेलंगाना	72
उत्तर प्रदेश	35
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	18
कुल	**1484**
(स्रोत: इम्मीग्रेट)	

अनुबंध "ख"

निर्माण उद्योग के कामगारों के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1255 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उत्प्रवासन निकासी (वर्ष-वार)			
	उत्प्रवासन निकासियों की संख्या		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2017**	**2018**	**2019**
अंडमान और निकोबार	13	12	11
आंध्र प्रदेश	17725	-	18005
अरुणाचल प्रदेश	3	15528	5
असम	2557	1667	2632
बिहार	69426	59181	55423
चंडीगढ़	139	101	125
छत्तीसगढ	123	109	120
दादरा और नागर हवेली	11	3	8
दमण और दीव	25	37	20
दिल्ली	1211	1107	1485
गोवा	666	641	627
गुजरात	4266	3314	3688
हरियाणा	1548	1382	1475
हिमाचल प्रदेश	666	399	431
जम्मू और कश्मीर	2089	2704	4540
झारखंड	3930	3664	3348
कर्नाटक	5231	4267	5316
केरल	16643	14496	19173
लक्षद्वीप	5	-	1
मध्य प्रदेश	995	974	1145
महाराष्ट्र	7851	7449	7666
मणिपुर	18	12	10
मेघालय	9	5	7
मिजोरम	2	1	3
नागालैंड	2	5	3
ओडिशा	11200	9832	7476
पांडिचेरी	336	312	281
पंजाब	27607	19777	14665
राजस्थान	32184	30272	28982
सिक्किम	7	13	7
तमिलनाडु	38341	31588	27783
तेलंगाना	17609	13085	13388
त्रिपुरा	1365	1218	1643
उत्तर प्रदेश	88450	86273	116251
उत्तराखंड	2172	2081	3323
पश्चिम बंगाल	36599	28648	28982
कुल	**391024**	**340157**	**368048**
(स्रोत:इम्मीग्रेट)			

अनुबंध "ग"

निर्माण उद्योग के कामगारों के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1255 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

शीर्ष 20 कार्य भूमिका-वार उत्प्रवासन निकासियों की संख्या

2017	
कार्य भूमिका	**उत्प्रवासन निकासियों की संख्या**
राज मिस्त्री	52883
बढ़ई	41588
सामान्य श्रमिक	28511
इलैक्ट्रिशियन	17703
सहायक (कुशल कामगारों के लिए)	17111
फिटर	15534
तकनीशियन	13435
सफाई वाला	12812
चालक	12481
मजदूर	11390
ड्राइवर (लाइट ड्यूटी)	11055
स्टील फिक्सर	10224
पेंटर	9772
श्रमिक	9589
वेल्डर	9290
प्लम्बर	7596
सहायक	6559
मैकेनिक	6156
प्लांटेशन कामगार	4371
रिगर	4316

2018	
कार्य भूमिका	**उत्प्रवासन निकासियों की संख्या**
राज मिस्त्री	37785
सामान्य श्रमिक	29773
बढ़ई	28188
तकनीशियन	21326
इलैक्ट्रिशियन	13575
सहायक (कुशल कामगारों के लिए)	12924
चालक	12295
मजदूर	12016
फिटर	11653
सफाई वाला	11272
प्लांटेशन कामगार	9288
वेल्डर	8262
सहायक	8238
ड्राइवर (लाइट ड्यूटी)	7942
पेंटर	7437
श्रमिक	7307
स्टील फिक्सर	7118
प्लम्बर	6566
नर्स	5974
घरेलू चालक	4958

(स्रोत:इम्मीग्रेट)

2019	
कार्य भूमिका	**उत्प्रवासन निकासियों की संख्या**
चालक	46469
सामान्य श्रमिक	43243
राज मिस्त्री	26450
बढ़ई	17370
घरेलू चालक	16279
सफाई वाला	12896
सहायक	12239
मजदूर	12225
इलैक्ट्रिशियन	11614
तकनीशियन	11436
घरेलू सहायक (पुरुष)	9205
नर्स	9015
सहायक (कुशल कामगारों के लिए)	8671
ड्राइवर (लाइट ड्यूटी)	7925
वेल्डर	7774
फिटर	6676
प्लांटेशन कामगार	6552
श्रमिक	5711
पेंटर	5356
हैवी ड्राइवर	5319

अनुबंध "घ"

निर्माण उद्योग के कामगारों के संबंध में श्री गोपाल शेट्टी द्वारा दिनांक 19.09.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1255 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पंजीकृत एजेंसियों के खिलाफ दर्ज की गयीं वर्ष-वार शिकायतें

वर्ष	**शिकायतों की संख्या**
2017	1508
2018	1817
2019	2346
(स्रोत:इम्मीग्रेट)	

****